(29)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 निग/2591/III/15

विनोद भार्गव अभि० द्वारा आज दि 31.8.15 को प्रस्तुत

31.8.15

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 31-08-2015

ललऊ उर्फ ललउआ पिता हरी लाल पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0) हाल निवास नौरोजाबाद मकान नं.05, तहसील उमरिया, जिला उमरिया (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1. चन्द्रवती पिता हरीलाल पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0),
2. अनारवती पिता हरीलाल पटेल, निवासी मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)
3. गुल्ला पिता हरीलाल पटेल
4. चमरू पिता बैजनाथ पटेल,
5. केदार पिता जयराम पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2891–तीन/2015 जिला–अनूपपुर

ललऊ उर्फ ललउआ विरूद्ध चन्द्रवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, जिला–अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला– अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6/3/19	